भारत INDIA

पचास रुपये FIFTY RUPEES

Rs.50

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास विलेख

न्यास विलेख की यह उद्घोषणा मेरे द्वारा दि0 सन् 2011 के माह अगस्त की [illegible] तिथि को स्थान बस्ती में की जाती है।

राम चरित्र चौधरी पुत्र स्व0 श्री भगवती प्रसाद चौधरी स्थायी पता ग्राम - [illegible], पोस्ट [illegible], तहसील व जिला-बस्ती (उ0 प्र0) वर्तमान में निवासी मो0-[illegible] पो0-गांधी नगर तहसील व जिला बस्ती (उ0 प्र0) जिसे एतद्पश्चात "न्यास संस्थापक" कहा गया है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]

अतः न्यास प्रवर्तक अपनी समाज सेवा की भावना के अधीन समाज के पीड़ित, अशिक्षित (ग्रामीण व अन्य) जनता को दुखों से मुक्ति दिलाने व शिक्षा के साथ [illegible] एवं स्वास्थ्य [illegible] में सभी शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान कार्य को मूर्त रूप देने हेतु सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास की स्थापना करता है तथा न्यास संस्थापक की हार्दिक अभिलाषा है कि सामाजिक कल्याण हेतु शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज में सुख शान्ति, समृद्धि धर्म–मार्ग, [illegible] एवं विशेषकर बालक, बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व नैतिक विकास के लिए विभिन्न स्तर के विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, [illegible] व्यक्तियों के लिए चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की मूल भूत आवश्यकता, अस्पताल, [illegible] व्यक्तियों के लिए चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की मूल भूत सुविधाओं जैसे भोजन, कपड़ा एवं आवास, इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बेरोजगार को उनकी योग्यतानुसार व्यावसायिक एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराके उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाये। जनहित में अन्य कार्यों को [illegible] एवं [illegible] लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए समाज के विभिन्न स्तर के लोगों से सहयोग प्राप्त करके एवं विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, [illegible] से सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थाओं एवं समितियों के निर्माण के लिए व जन कल्याण के [illegible] कार्यों हेतु एक न्यास की स्थापना की जाये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाये। अतः न्यास संस्थापक अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस न्यास की स्थापना में रु0 21,000/- (इक्कीस हजार रुपया) मूल न्यास कोष की स्थापना करता है। तथा अन्य न्यासी को 5000/- रुपये से अधिक सम्पत्ति निधि के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यास को अभिदत्त किया जाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अतः विलेख द्वारा न्यास के स्थापना की घोषणा निम्न प्रकार की जाती है.

अनुच्छेद 1.000 **परिभाषा**

1.100 इस न्यास विलेख में आए हुए निम्नलिखित शब्दों का, जब तक प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो जाए, तब तक वही अर्थ समझा जाएगा जिस सम्बन्ध में उसे परिभाषित किया गया है।

1.200 "पुल्लिंग" बोधक शब्दों के अन्तर्गत स्त्रीलिंग बोधक शब्द व "स्त्रीलिंग" बोधक शब्दों के अन्तर्गत पुल्लिंग बोधक शब्द सम्मिलित माने जायेंगे।

1.300 "एक वचन" बोधक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन बोधक शब्द व "बहुवचन" बोधक शब्दों के अन्तर्गत एक वचन बोधक शब्द सम्मिलित माने जायेंगे।

1.400 "न्यास" बोधक शब्द का तात्पर्य

जानकी प्रसाद चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट, से है।

1.500 "अधिनियम" बोधक शब्द का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1995)

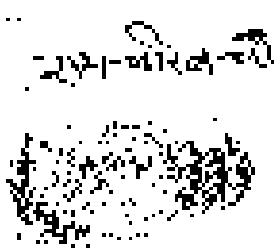

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Y 20672

1.600 "न्यास-प्रवर्तक" द्योतक शब्द का तात्पर्य इस न्यास के संस्थापक [illegible] विलेख [illegible] को इस विलेख में न्यास प्रवर्तक के रूप में उल्लेखित है।

1.700 "न्यासी" द्योतक शब्द का तात्पर्य न्यासी [illegible] इस विलेख में न्यासी के रूप में उल्लेखित है जिसमें प्रथम न्यास प्रवर्तक [illegible] न्यासी व इस विलेख की अनुच्छेद 5.100 से 5.?00 न्यास परिषद में [illegible] न्यास परिषद द्वारा चुने गये व्यक्ति तथा भविष्य में न्यास परिषद द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति संयुक्त व पृथक रूप से शामिल माने जायेंगे।

1.800 "न्यास – सम्पत्ति" द्योतक शब्द का तात्पर्य अनुच्छेद – 4.000 में उल्लेखित न्यास सम्पत्ति से है तथा यह सभी सम्पत्तियाँ न्यास सम्पत्ति मानी जायेंगी जो न्यास को दान या अनुदान या किसी भी स्वरूप में न्यास अवधि में अर्जित करता है। जैसे कि नकद, [illegible] सम्पत्ती, [illegible], फर्नीचर, [illegible] की सामग्री, सभी शिक्षण सामग्री, पुस्तक व लेखन सामग्री, बिजली उपकरण, वाहन आदि सभी चल व अचल सम्पत्तियाँ हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 316717

अनुच्छेद 2.000 **न्यास का नाम व पता**

2.100 इस न्यास को जानकी प्रसाद जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट, नाम से जाना जायेगा।

2.200 वर्तमान पंजीकृत कार्यालय –

ग्राम–बाटौया, पोस्ट–मरवटिया, तहसील व जिला–बस्ती (उ0प्र0) स्थान पर स्थित की जाती है। यदि कार्य की सुगमता की दृष्टि से सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी क्षेत्र में स्थानान्तरण के अधीन होगी। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व न्यास की शाखाएं/उपकार्यालय खोले जाने वाली संस्थाओं को संचालित करने के उद्देश्य से न्यास सम्पूर्ण भारत के किसी क्षेत्र में स्थिति के अधीन अपनी शाखा/उपकार्यालय खोलकर उसे संचालित करने में सक्षम होगी।

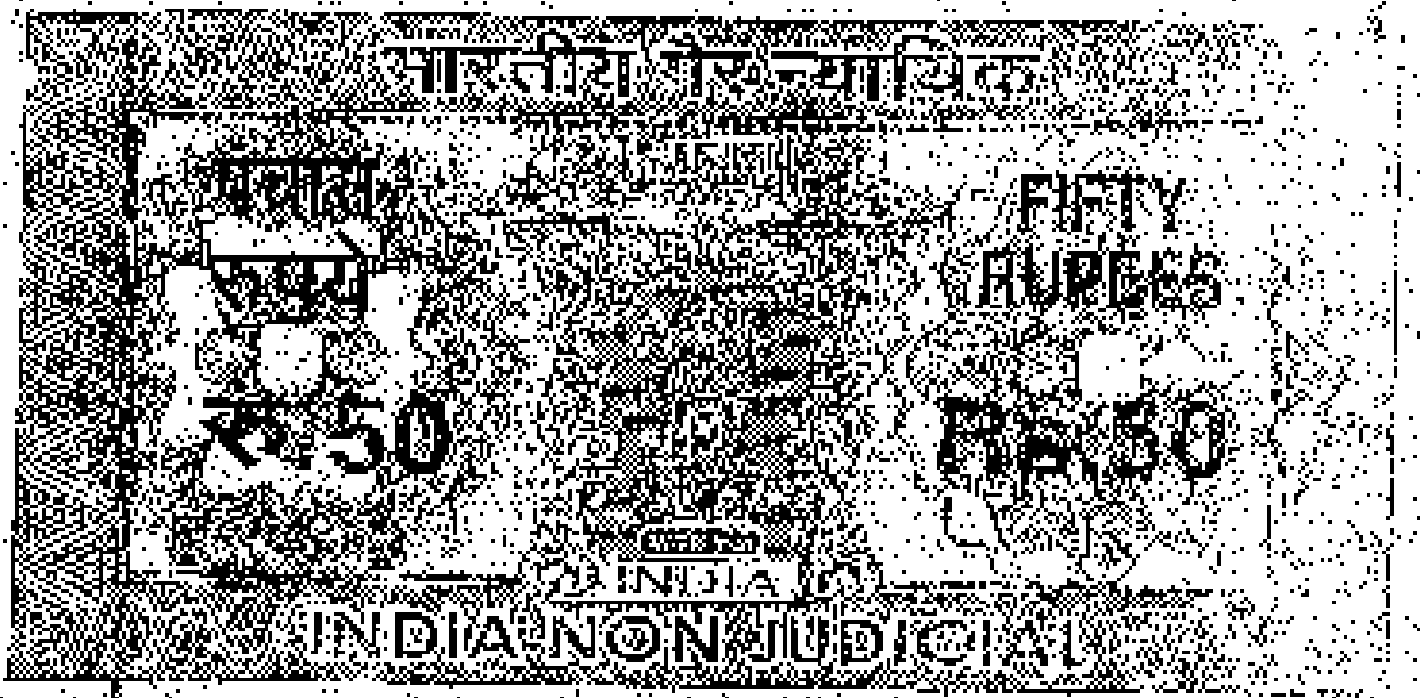

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुच्छेद – 8.000 **न्यास के उद्देश्य**

एतद द्वारा सृजित न्यास सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, व लिंग के बिना किसी भेदभाव के मानव समाज के नैतिक [illegible] शिक्षित व अज्ञान मानव को शिक्षा से पूर्णकालिक विकास है जिससे कि वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के साथ ही साथ देश के अच्छे नागरिक बनकर देश के उत्थान के प्रति जागरूक बनें।

8.010 **शिक्षा के उद्देश्य–**

केन्द्र व राज्य सरकार की मान्यता व उनके द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के कार्य की योजना, विभिन्न तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण के साथ साथ तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा व प्रशिक्षण, नर्सिंग शिक्षा व प्रशिक्षण, फार्मेसी शिक्षा व प्रशिक्षण, पैथालोजी शिक्षा व प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण, एवं रोजगार परक शिक्षा व प्रशिक्षण सम्मिलित होने के लिए स्वच्छ व प्रभावी वातावरण में विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र व मेडिकल कालेज की स्थापना व संचालन करना तथा उसे प्राप्त करना।

8.020 **सामान्य शिक्षा व प्रशिक्षण –**

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक व परास्नातक की पाठ्यक्रमानुसार कला व साहित्य वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य व व्यावसायिक, शिक्षण प्रशिक्षण वर्ग की शासकीय नियमों के अनुरूप वातावरण में छात्रों को गुणवत्तापरक एवं उत्तम शिक्षा प्रदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रू.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 306719

3.030 तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षा –
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन्फॉर्मेशन [illegible] व सूचना तकनीकी (आई०टी०) के समस्त विषयों को [illegible] समय-समय पर परिवर्तनों के अनुसार समस्त प्रकार की आधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना व प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करना जिसके अन्तर्गत इन्जीनियरिंग कालेज, आई०टी०आई० और पालीटेक्निक की स्थापना करना और उसका संचालन करना।

3.040 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण –
मानव शरीर के [illegible] व अन्य [illegible] अंगों व उसके रोगों [illegible] शरीर विज्ञान, औषधि व शल्य चिकित्सा, रोग निदान, आयुर्वेदिक व यूनानी, होम्योपैथिक व एलोपैथिक पद्धति [illegible] व प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम समस्त विषयों का शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना, तथा उनको [illegible] चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र में प्रशिक्षुओं को औषधि व शल्य चिकित्सा द्वारा [illegible] रोगों के निदान का प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था व अवसर प्रदान करना जिससे कि एक कुशल, योग्य व [illegible] चिकित्सक बनाया जा सके।

3.050 नर्सिंग पाठ्यक्रमानुसार सम्बन्धित विषयों की शिक्षा व प्रशिक्षा प्रदान करना

3.060 औषधि व रसायन के ज्ञान व उसके निर्माण हेतु फार्मेसी (बी०/डी०फार्मा) की डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रमानुसार समस्त विषयों की शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना।

3.070 व्यावसायिक मार्ग के अन्य शिक्षा - व्यवसाय प्रशासन (बी०बी०ए०, एम०बी०ए०) व कम्प्यूटर अनुप्रयोग (बी०सी०ए०, एम०सी०ए०) पाठ्यक्रमानुसार समस्त विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करना।

3.080 कृषि व वानिकी की शिक्षा हेतु कृषि विद्यालय, महाविद्यालय, [illegible], [illegible], प्रयोगशाला, [illegible] की स्थापना व उनका संचालन करना तथा उसे जारी रखना।

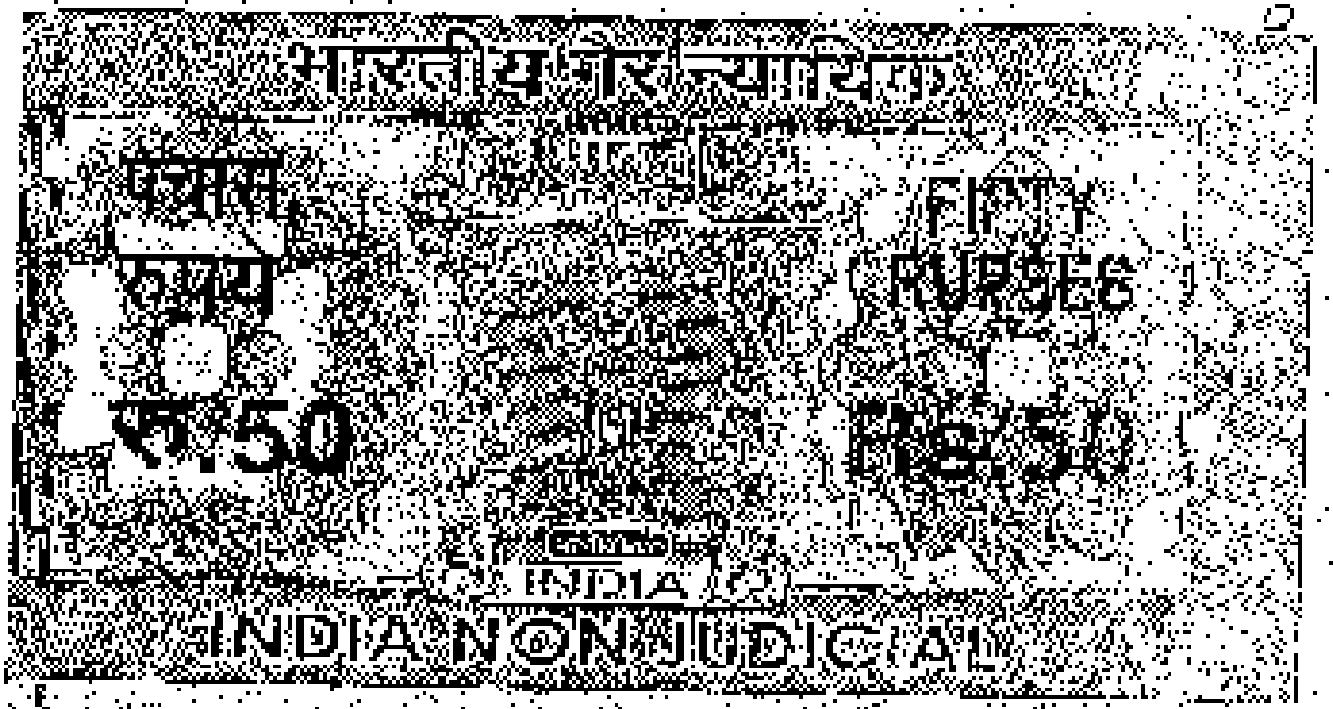

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 305720

3.090 औपचारिक शिक्षा के अलावा कृषि सम्बन्धी शिक्षा व प्रशिक्षा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रमानुसार कृषि वानिकी वर्ग के समस्त विषयों का शिक्षा व प्रशिक्षा प्रदान करना ।

3.100 आवश्यकतानुसार, कृषि विभाग के अन्न, फल, फूल व सुगन्धित औषधीय पौधों की किस्मों एवं उत्तम कोटि के परिष्कृत बीजों को तैयार करना व उसका प्रसार करने की प्रक्रिया प्रदान करना ।

3.110 मृदा परीक्षण, उर्वरक एवं सुधार का प्रशिक्षण प्रदान करना ।

3.120 कृषि आधारित व्यवसाय हेतु आधुनिक खेती सामग्री, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन व औद्योगिक पौधों, की उन्नत तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे की ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वरोजगार के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें ।

3.130 संगीत नृत्य व अभिनय शिक्षा प्रशिक्षण –

संगीत नृत्य व अभिनय शिक्षा प्रशिक्षण हेतु संगीत नृत्य व अभिनय विद्यालय, पाठशाला की स्थापना व उसका संचालन, कार्य करना एवं जारी रखना । संगीत नृत्य व अभिनय विधाओं [illegible] निर्देशन, संगीतकार, फिल्म निर्माण व निर्देशन के सभी विषय सम्मिलित होंगे को डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमानुसार शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना ।

3.140 शोध शिक्षा –

न्यास के शैक्षणिक संस्थानों में किसी विषय में महारथ प्राप्त करने हेतु व नये सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने व आधुनिक तकनीकी विकसित करने के उद्देश्य से योग्य छात्रों को शोध पाठ्यक्रमानुसार सम्बन्धित विषय में अनुसंधान करने के शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था व अवसर प्रदान करना ।

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रू.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3.150 खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा – प्रशिक्षण –

बच्चों को मानसिक, शारीरिक विकास हेतु शिक्षा के साथ साथ खेल, व्यायाम व योग की शिक्षा प्रदान करना तथा इससे सम्बन्धित क्रीड़ा विद्यालय व योगाश्रम की स्थापना व उसका संचालन करना एवं उसे जारी रखना।

3.160 सामाजिक उद्देश्य –

अनाथ, निराश्रित, वृद्ध, महिला – पुरुष परित्यक्ता, गरीब व निराश्रित महिलाओं व विकलांगों के लिए आश्रम, वस्त्र भोजन व अन्य आवश्यक कार्य।

3.170 अन्य उद्देश्य –

3.180 किसी संस्था/समिति के प्रस्ताव पर न्यास द्वारा खोले गये संस्थानों/कार्यालयों को अपने में समाहित कर उसे नियम के अनुसार उसे संचालित करना।

3.190 न्यास के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बच्चों व छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास के साथ साथ व मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्यापन व प्रशिक्षण देने हेतु उनके अध्यापक, प्रवक्ता, प्रोफेसर, विषय विशेषज्ञ, प्रशासक की नियुक्ति करना तथा उनका पारिश्रमिक निर्धारित व नियत करना।

3.200 बच्चों व छात्रों तथा शिक्षकों तथा अन्य सभी जो न्यास व उसके शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत हो के लिए छात्रावास, आवास का निर्माण व उसका रखरखाव तथा उसे संचालित करना।

3.210 बच्चों व छात्रों व अन्य सभी को न्यास व उसके संस्थानों में सर्वांगीण, शारीरिक मानसिक विकास के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जिससे वे एक अच्छे नागरिक बन सकें।

3.220 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, या अन्य प्रकार के उपहार, दान व चल-अचल सम्पत्ति स्वीकार करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3.230 [illegible] से [illegible] की [illegible] को विभिन्न [illegible] सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संस्था या निजी से ऋण प्राप्त करके न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष का सृजन करना।

3.240 [illegible] के अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेख, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व [illegible] से [illegible] अनुवाद।

3.250 [illegible], कैंसर एवं [illegible] कार्यक्रम, निःशुल्क परिवार [illegible] कार्यक्रमों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर उनके प्रभाव से संबंध प्रचार व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, [illegible] के लिए सहयोग प्रदान करना। इन कार्यक्रम के संचालन में स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, [illegible] व अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

3.260 सरकार की [illegible] से [illegible] के [illegible] हेतु [illegible], [illegible] की व्यवस्था [illegible] तथा [illegible] योजनाओं में लोगों को [illegible] एवं [illegible], [illegible] ग्रामीण व शहरी [illegible] को [illegible] जानकारी प्रदान करना।

3.270 न्यास के [illegible] हित में [illegible], [illegible], [illegible] व्यावसायिक [illegible] का निर्माण, [illegible] गृह, [illegible], [illegible] की स्थापना व संचालन [illegible] के लोगों की आर्थिक उन्नति हेतु व्यावसायिक कुशलता की व्याख्यान व संवर्धन करवाना।

3.280 न्यास की आध्यात्मिक [illegible] का निर्माण व संचालन करना तथा लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला, [illegible] की स्थापना व संचालन करना। समय समय पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक गुरुओं का सम्मेलन करना। [illegible], दर्शन व धर्म के अनुरूप [illegible] के [illegible] हेतु प्रयास करना तथा [illegible] समय पर धार्मिक स्थलों का दर्शन कराना।

3.290 पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना व टीकाकरण [illegible] व चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3.300 नशीली व नशे वाली चीजों के सेवन को रोकने के लिए [illegible] नशा उन्मूलन, नशेड़ियों के पुनर्वास को रोकने व उससे उत्पन्न [illegible] की स्थिति से निपटने व [illegible] हेतु [illegible] व [illegible] को लागू करना व इस कार्यक्रम पर शोध कार्य करना व संचालन करना।

3.310 विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्यक्रमों को संचालित करना तथा विज्ञान के प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करना।

3.320 योग व भौतिक क्रिया की महत्ता से लोगों को [illegible] व सामाजिक [illegible] को बढ़ावा देने की दिशा में प्रभावी [illegible] प्रशिक्षण का आयोजन करना।

3.330 टी०वी० सीरियल व [illegible] के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने व लोगों को जागरूक करने की दिशा में कार्य करना।

3.340 एड्स, टी०बी०, कुष्ठ रोग, [illegible], मधुमेह, हेपेटाइटिस बी, व [illegible] तथा भ्रूण हत्या, बाल विवाह की रोकथाम की दिशा में कार्य करना व साथ [illegible] सरकार के [illegible] सम्बन्धी निर्देश हेतु योजनाएं लागू करना।

3.350 विभिन्न [illegible] व प्राकृतिक स्रोतों के प्रयोग को प्रचलित करना।

3.360 समाज के गरीब व असहाय परिवार की लड़कियों की शादी करवाना व बेरोजगार युवकों/युवतियों को रोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

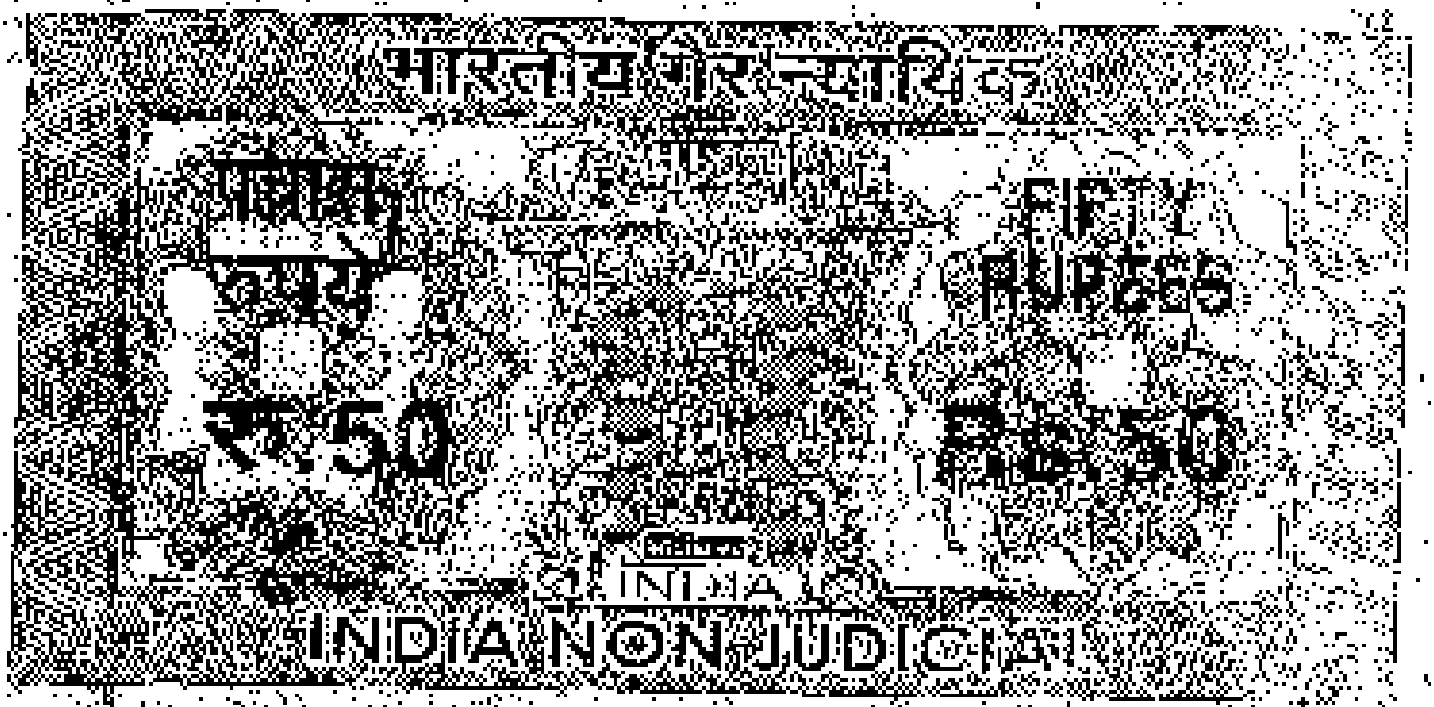

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 306724

3.370 नशा निषेध एवं कुरीतियां निवारण समाज की स्थापना की दिशा में कार्य करना। व नशामुक्ति के उद्योग को प्रोत्साहित [illegible] हेतु पौष्टिक कार्यक्रम व [illegible] संचालित करना।

3.380 सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व पुस्तकालय वाचनालय का संचालन करना तथा समाज एवं सम्पूर्ण गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण जागरूकता शिविर व सेमिनार करना व राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना।

3.390 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशाला व जागरूकता के कार्यक्रमों का संचालन करना लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। विधिक व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा लोगों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करना एवं पुरस्कार प्रदान करना।

3.400 दैवी आपदाओं जैसे- बाढ़, भूकम्प, सूखा, तूफान, अग्निकांड, महामारी इत्यादि से पीड़ित जन को हर सम्भव आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना।

3.410 विकलांगों एवं निराश्रितों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना एवं आर्थिक एवं अन्य संसाधनों द्वारा उनकी सहायता प्रदान करना।

3.420 न्यास अपने मुख्य व आनुषंगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सभी कार्यक्रम संचालित करेगी जो न्यास के हित में आवश्यक प्रतीत होता है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 529?92

3.430 न्यास अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु [illegible] विकास संस्थानों के सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करना व न्यास की [illegible] [illegible] विभिन्न कार्यक्रमों को [illegible] [illegible] विक्रय करना। [illegible] स्थायी [illegible] सम्पत्तियों को प्राप्त करना।

अनुच्छेद-4.000 न्यास सम्पत्ति

4.100 न्यास प्रारम्भ में इसकी कोष राशि में रु० 21,000 (इक्कीस हजार) नकद [illegible] न्यास कोष [illegible] है।

4.200 श्री [illegible] न्यासी परिषद के [illegible] अध्यक्ष [illegible] न्यासी द्वारा [illegible], जैसा कि न्यास [illegible] नामित किया गया है। किसी [illegible] न्यास [illegible] न्यासियों [illegible] [illegible] अधिकार प्राप्त होंगे जो कि पूर्ववर्ती [illegible] न्यासी को प्राप्त थे।

4.300 श्री [illegible] न्यासी परिषद के सचिव [illegible] होंगे। सचिव का [illegible] न्यास के [illegible] के अनुसार [illegible] होगा। परन्तु न्यास के [illegible] अध्यक्ष [illegible] कार्यों के आधार पर पुनः नियुक्त कर सकते हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 306775

4.400 श्री राम चरित्र श्रीमती कल्याणा न्यासी एवं प्रवर्तक न्यासी परिषद के स्थायी अध्यक्ष होंगे। उत्तराधिकारी के रूप में श्रीमती प्रेम कुमारी को नामित किया गया।

अनुच्छेद 5.0.00

न्यास का प्रबन्धन व प्रशासन

5.100 न्यास का प्रशासन व प्रबंध न्यासियों द्वारा गठित एक न्यासी परिषद द्वारा किया जायेगा। जिसे न्यासी परिषद कहा जायेगा। न्यासी परिषद में न्यासियों की संख्या जो कम से कम 7 (सात) व अधिक से अधिक 15 (पन्द्रह) न्यासी होंगी। न्यास प्रवर्तक संस्थापक न्यासी के रूप में आजीवन स्थायी न्यासी रहेंगे। संस्थापक प्रवर्तक अध्यक्ष न्यासी के रूप में न्यासी परिषद के स्थायी अध्यक्ष न्यासी होंगे। जिनके बाद उनके विधिक उत्तराधिकारियों में से किसी एक उत्तराधिकारी को स्थायी न्यासी चुना जायेगा जैसा कि न्यास प्रवर्तक के द्वारा इस प्रकार भी नामित किया गया हो। किसी प्रकार के या विधिक नामित के न होने की दशा में न्यास परिषद के न्यासियों की राय से उनके उत्तराधिकारियों (वारिसों) में से किसी योग्य विद्वान धर्मनिष्ठ, ईमानदार, व्यवहार कुशल व न्यास के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान व समर्पित उत्तराधिकारी को उनके स्थान पर नियुक्त किया जायेगा जिन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती अध्यक्ष न्यासी को प्राप्त थे।

6.100 न्यासी परिषद में न्यासियों की संख्या 15 (पन्द्रह) किया जाना यदि आवश्यक प्रतीत हो तो न्यास प्रवर्तक द्वारा न्यासी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं।

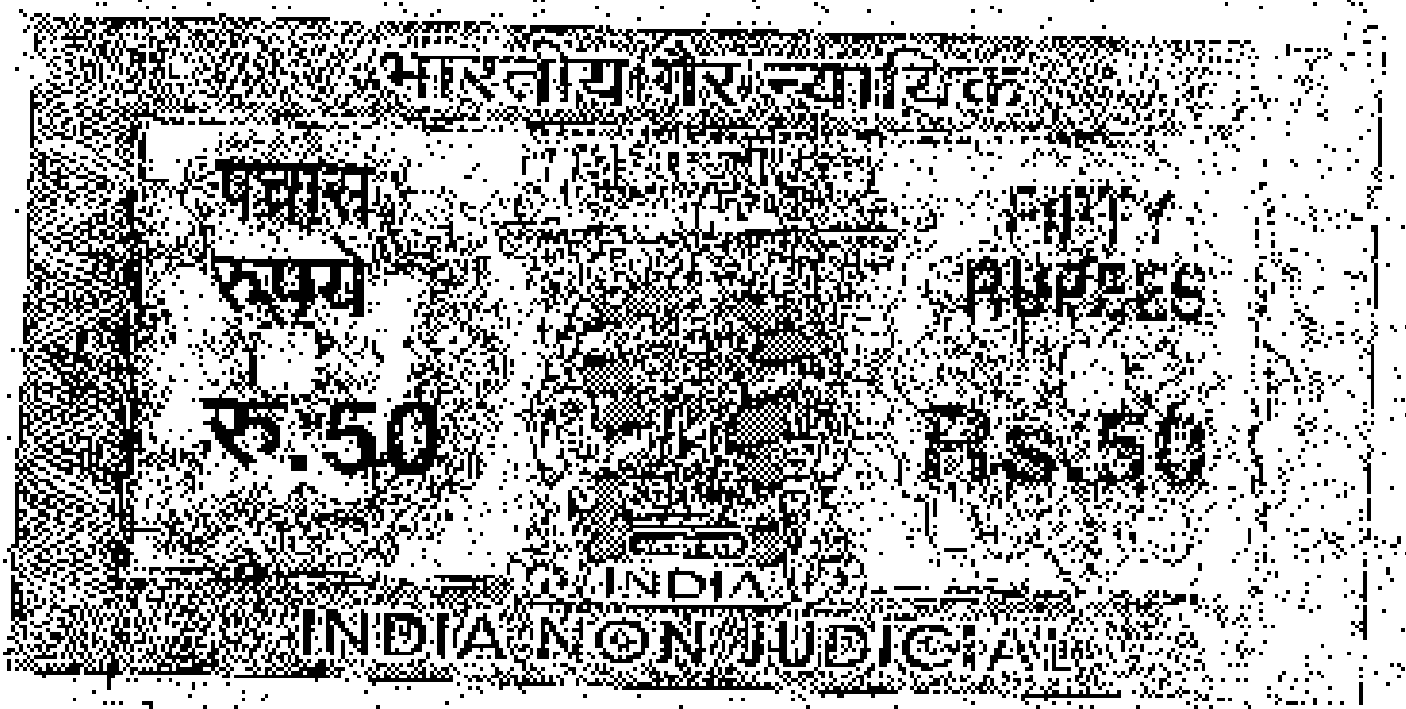

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z [illegible]

5.[illegible] न्यासी [illegible] — [illegible] न्यास [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] निम्न प्रकार किया जाता है।

क्रम सं0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री राम नरेश चौधरी स्व0 श्री [illegible] प्रसाद चौधरी	ग्राम- कन्दोपा, पो0- भदसड़िया, जिला- बस्ती	संस्थापक न्यासी	कृषि
2.	श्रीमती [illegible] चौधरी पत्नी अवधेश चौधरी	ग्राम- [illegible]पुर, पो0- [illegible], जिला- बस्ती	कोषाध्यक्ष न्यासी	[illegible]
3.	श्री [illegible] कुमार चौधरी पुत्र राम नरेश चौधरी	ग्राम- कन्दोपा, पो0- भदसड़िया, जिला- बस्ती	सचिव न्यासी	कृषि
4.	[illegible] पुत्री श्री [illegible] प्रसाद	ग्राम- [illegible], पो0- [illegible], जिला- बस्ती	न्यासी	[illegible]
5.	श्री [illegible] कुमार चौधरी पुत्र राम नरेश चौधरी	ग्राम- कन्दोपा, पो0- भदसड़िया, जिला- बस्ती	न्यासी	कृषि
6.	श्रीमती [illegible] पत्नी श्री अरुण कुमार [illegible]	ग्राम- [illegible]पुर, पो0- [illegible], जिला- सुल्तानपुर	न्यासी	कृषि
7.	श्री [illegible] चौधरी पुत्र श्री राम [illegible]	ग्राम- [illegible]पुर, पो0- [illegible], जिला- बस्ती	न्यासी	[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

₹50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7 309349

5.140 न्यास के गठन के समय न्यास प्रवर्तक द्वारा नियुक्त 7 (सात) न्यासियों का कार्यकाल जीवन पर्यन्त का होगा परन्तु न्यास की अन्य कार्यकारिणी के सदस्य न्यासी के रूप में न्यास प्रवर्तक अध्यक्ष के द्वारा लिया जायेगा।

5.150 ऐसे न्यासी जो पांच वर्ष कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर ऐसा सुविधा हो तो उन्हें वर्तमान न्यासी परिषद द्वारा पुनः न्यासी नियुक्त किया जा सकता है।

5.160 यदि कोई न्यासी अपने सेवाकाल पूर्ण होने से पूर्व न्यासी पद से मुक्त होने की स्वयं की इच्छा है तो वह अपने न्यासी पद से त्याग पत्र दे सकता है।

5.170 न्यास के प्रशासनिक व वित्तीय कार्यो के निष्पादन व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास प्रवर्तक कार्यकारी पदाधिकारी के अनुसार का सृजित किया जायेगा।

5.180 श्री राम [illegible] चौधरी न्यास प्रवर्तक संस्थापक न्यासी के रूप में न्यासी परिषद के स्थायी जीवनपर्यन्त न्यासी होंगे।

5.190 श्री [illegible] कुमार [illegible] न्यास परिषद के सचिव न्यासी होंगे।

5.200 श्रीमती [illegible] न्यास परिषद के कोषाध्यक्ष न्यासी होंगी।

5.210 न्यास या उसके अन्य संस्थानों के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु न्यासी परिषद में से किसी एक न्यासी को प्रबन्धक न्यासी नियुक्त करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 319394

5.220 चेयरमैन न्यास, को छोड़कर शेष न्यासियों का कार्यकाल मात्र 5 (पाँच) वर्ष होगा। कार्यावधि के पश्चात् न्यासियों किसी को उनके न्यासी पद से हटाये जाने पर उनका पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5.230 चेयरमैन द्वारा न्यासी परिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

5.240 न्यासी परिषद की किसी बैठक या कार्यक्रम पर अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में यदि कोई बैठक बुलाई जाती है तो उसका अनुमोदन अध्यक्ष न्यास से आवश्यक होगा।

5.250 न्यासी परिषद के प्रत्येक बैठक की कार्यवाही चेयरमैन या उसके द्वारा नामित न्यासियों में से किसी एक न्यासी द्वारा निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किए जायेंगे।

5.260 सचिव न्यास– न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में प्रशासनिक व प्रबंधकीय कार्यों व अधिकारों का सम्पादन के साथ– साथ अनुच्छेद 9.000 में उल्लिखित न्यासी परिषद से निहित अधिकार व कर्तव्यों का निष्पादन करना, चेयरमैन न्यास के निर्देशानुसार न्यासी परिषद की बैठकों को आहूत करना बैठकों की सूचना सम्प्रेषित करना, इन बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना। सभी सम्पत्तियों का रख रखाव, चेयरमैन न्यास की अनुपस्थिति में उनके द्वारा निर्देशित कार्य को करना।

5.270 कोषाध्यक्ष न्यास– चेयरमैन न्यास के निर्देशानुसार न्यास सम्पत्तियों व न्यास के कोष की सुरक्षा [illegible] न्यास के आय-व्यय के सम्बन्ध में पुस्तपालन, लेखांकन व सम्प्रेक्षण कराना व करना।

5.280 ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रत्येक संस्थाओं चाहे शिक्षण संस्थान हो या व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं का निष्पादन प्रत्येक सदस्य हेतु पृथक प्रबन्ध एवं प्रशासन योजना द्वारा किया जायेगा।

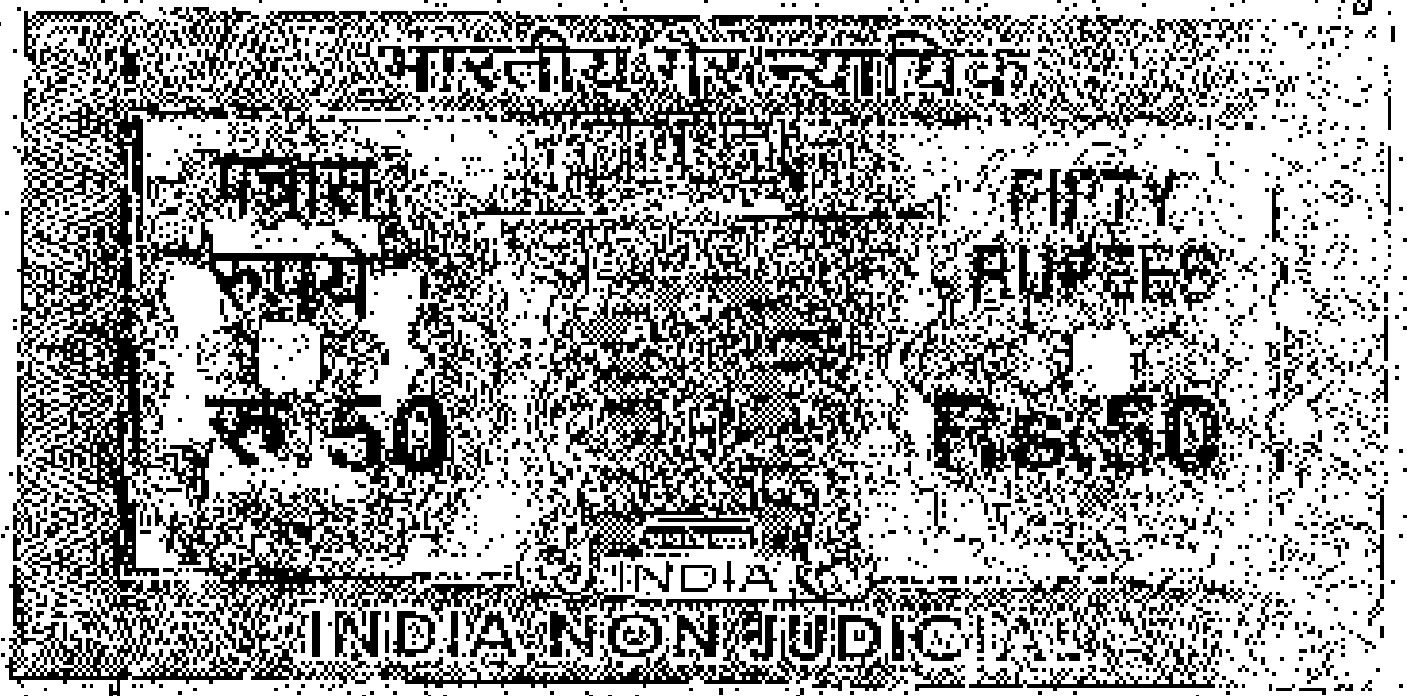

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

₹50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुच्छेद 6.000 <u>न्यासी की पात्रता</u>

न्यास के मानकर्ताओं में ऐसे मानकर्ता न्यासी परिषद के न्यासी पद के पात्र होंगे जो—

6.110 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।

6.120 भारत के नागरिक हों।

6.130 पागल या मानसिक रोगी न हों।

6.140 [illegible]

6.150 आपराधिक प्रवृत्ति के किसी आपराधिक संगठन के सदस्य न हों या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित न हो।

6.160 नियमित विधि के अधीन दिवालिया घोषित न किया गया हो।

6.170 दुराचारी, चरित्रहीन व नशेबाज न हों।

अनुच्छेद 7.000 कार्यरत न्यासी के <u>न्यासी पद की समाप्ति</u>

7.110 ऐसे न्यासियों की न्यास परिषद में न्यासी का पद निम्न परिस्थितियों में अथवा न्यासी के त्याग पत्र देने से समाप्त हो सकता है।

7.120 [illegible]

7.130 पागल या मानसिक रोगी हो जाने पर।

7.140 दिवालिया घोषित होने पर।

7.150 किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रू.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z [illegible]

7.160 न्यासी कार्यालय [illegible] होने पर ।

7.170 न्यासी पद से त्यागपत्र देने पर ।

7.180 न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर ।

7.190 न्यास के धन या सम्पत्ति का व्यक्तिगत लाभ हेतु उपयोग या दुरुपयोग सिद्ध होने पर ।

7.200 लगातार एक वर्ष से विदेश में रहने पर ।

7.210 लगातार बिना सूचना के न्यासी परिषद की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।

अनुच्छेद—8.000 न्यासी परिषद की बैठक

8.110 [illegible] बैठकें— न्यासी परिषद की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार होगी।

8.120 विशेष बैठक— अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा व निर्णय हेतु न्यासी परिषद की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। विशेष बैठकें प्रत्येक माह में एक बार बुलाई जा सकती हैं। ऐसी बैठकों की संख्या अधिकतम एक वर्ष में 12 हो सकती है।

8.130 सूचना अवधि— न्यासी परिषद की सामान्य बैठक की सूचना न्यासियों को 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व, विशेष बैठक की सूचना 48 घण्टे पूर्व न्यासियों को दी जायेगी, [illegible] किसी न्यासी के किसी कारणवश उपलब्ध न होने की दशा में बैठक स्थगित नहीं होगी। [illegible] आवश्यक [illegible] बैठक [illegible] सूचना सभी न्यासी, [illegible], [illegible] अधिकारी को एक माह पूर्व [illegible] अनिवार्य होगा।

8.140 गणपूर्ति— न्यासी परिषद की बैठक के लिए 1/3 न्यासियों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी, जिसके पूरा न होने की दशा में अध्यक्ष की सहमति से अगली तिथि पर बैठक की [illegible] पर स्थगित कर दी जायेगी। स्थगित बैठक में [illegible] स्थगित बैठक के लिए [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 306

के उपरान्त भी जब रिक्त सूची पर अंकित विकल्प किया जायेगा। द्वितीय बैठक में गणपूर्ति न होने पर उपस्थित न्यासियों को ही गणपूर्ति मान लिया जायेगा।

9.150 वार्षिक अधिवेशन– न्यासी परिषद के पूरे वर्ष के क्रिया कलापों की समीक्षा एवं पुष्टि हेतु न्यास का एक वार्षिक सम्मेलन आवश्यक होगी। जिसकी बैठक प्रत्येक वर्ष के माह मई में आवश्यक होगी जिसमें सभी न्यासी व न्यास के धनकर्ता व न्यास के संस्थानों के प्रमुख अधिकारी को भाग लेना अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद– 9.100 न्यासी परिषद के कर्तव्य व अधिकार

9.110 न्यासी परिषद के न्यासियों को निम्न कर्तव्य व अधिकार के साथ–साथ वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो न्यास की सम्पत्ति व उसकी गतिविधियों को नियंत्रित व न्यास के अधीन संचालित शैक्षणिक या अन्य संस्थानों के संचालन व उसके कार्य करने के दिशा निर्देश दें।

9.120 कर्तव्य व उत्तरदायित्व

9.130 न्यास के उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहना तथा न्यास की उन्नति के लिए कार्य करना। न्यास सम्पत्ति व न्यास के संस्थानों की सम्पत्तियों की सुरक्षा करना एवं नष्ट होने से बचाना तथा उनकी समुचित देख रेख व प्रबंधन करके उनका उपयोग इस प्रकार करना जिससे अधिकतम सम्पत्ति की सुरक्षा की जा सके।

9.140 न्यास के सभी शैक्षिक, चिकित्सा व अन्य संस्थानों की योजनाओं, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों का संचालन करना व नियंत्रित करना।

9.150 न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोष का सृजन करना।

9.160 न्यासी परिषद की बैठकों में उपस्थित रहना व न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपना विचार प्रस्तुत करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 2 [illegible]

9.170 न्यास को किसी बोर्ड व समिति का निर्माण करना जो न्यास के हित में उसके उद्देश्यों को सफल बनाने में सहायक हो।

9.180 न्यास की सभी संपत्ति की आय व व्यय का नियमित रूप से मूल्यांकन, लेखांकन व अंकेक्षण करवाना।

प्रबन्धीय (संस्थापक) न्यासी के अधिकार

9.190 न्यासी परिषद को सभी अधिकार संबंधित न्यासी में निहित किये जाते हैं और न्यास परिषद के सदस्य में समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा।

9.200 न्यास के शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु भारत वर्ष के किसी भी क्षेत्र में भूमि अथवा व अन्य अचल सम्पत्तियां तथा सभी न्यास की चल सम्पत्तियों का क्रय, भाड़ा या अनुबन्धित, किराया में पट्टे पर अर्जित व स्वीकार करना तथा न्यास हित में न्यास सम्पत्तियों का विक्रय करना व भाड़ा पर देना।

9.210 न्यास के लिए न्यास की तरफ से क्रय, विक्रय विलेख और सम्पादित कराये हुए एवं भवन के लेख या निर्माण का निरीक्षण करना।

9.220 न्यास के लिए न्यास की तरफ से किसी भी प्रकार की संविदा, अनुबंध, आज्ञा, स्वीकृति, शपथ पत्र प्रार्थना पत्र का निष्पादन व हस्ताक्षरित करना।

9.230 किसी भी न्यायालय अधिकरण में न्यास के लिए न्यास की तरफ से वाद पत्र प्रतिवाद पत्र को हस्ताक्षरित कर उसे प्रस्तुत करना।

9.240 भारत वर्ष के किसी भी क्षेत्र में न्यास के नाम या उसके किसी संस्थान के नाम से चालू खाता, बचत खाता, या सावधि खाता, न्यासी परिषद के प्रस्ताव पारित करके या किसी भी राष्ट्रीयकृत

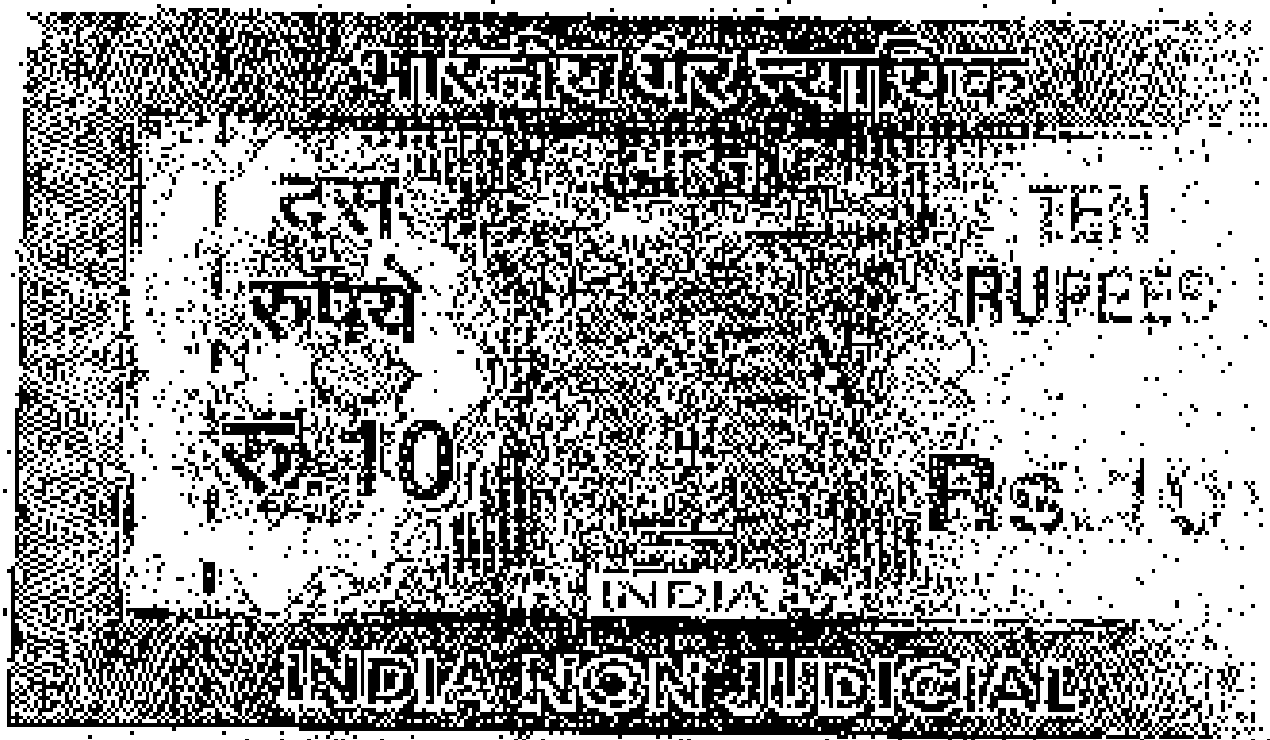

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये — TEN RUPEES

₹10 — Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

नगर प्रदेश UTTAR PRADESH 2.....

बैंक, पोस्ट आफिस, सहकारी बैंक, में कोष निवेश हेतु खाता खोलना व संचालित करना। न्यास की सम्पत्ति, खातों का संचालन न्यास के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित सचिव/ अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त खाता संचालित किया जायेगा।

9.250 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जहां आवश्यक सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों, बैंक, फर्म, व्यक्ति से ऋण प्राप्त करना तथा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तावित करना तथा ऋण की सभी औपचारिकताएं को पूरा करना।

9.260 ऋण के लिए न्यास या न्यास के अधीन संस्थाओं के चल व अचल सम्पत्तियों को बंधक, गिरवी से सम्बंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु दस्तावेजों को निष्पादन व हस्ताक्षरित करना।

9.270 सभी प्रकार के दान, अनुदान भेंट, अंशदान, चन्दा व सभी प्रकार के उपहार नकद राशि, चल सम्पत्ति या अचल सम्पत्ति के रूप में हो स्वीकार करना।

9.280 न्यास सम्पत्ति से आय या लाभ, किराया, ब्याज आदि प्राप्त करना।

9.290 दान द्वारा प्राप्त चल व अचल सम्पत्तियों को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में विनियोग करना व प्राप्त धन न्यास के उद्देश्यों में निवेशित करना।

9.300 न्यास की ऐसी सम्पत्तियां जो निष्प्रयोज्य हो गयी है या उसके खराब या नष्ट होने की सम्भावना पर उसे विक्रय या सार्वजनिक नीलाम कर प्राप्त धन प्राप्त करना तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में निवेश करना।

9.310 भवन व न्यास के सम्बंधित संस्थानों की सम्पत्तियों को लाभ के लिए मरम्मत, पुनः निर्माण, परिवर्तन, सुधार व उसका उचित प्रबन्धन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9.320 संस्था या न्यास से सम्बन्धित संस्थानों को किसी भी [illegible] या राज्य व केन्द्र सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय निकाय के द्वारा [illegible] की दशा में [illegible] अधिग्रहण [illegible] को प्राप्त व स्वीकार करना तथा न्यास के उद्देश्यों में निवेशित करना।

9.330 न्यास व न्यास से सम्बन्धित शैक्षिक, चिकित्सा, या अन्य संस्थाओं के लिए उपविधियों के अनुसार कार्य का संचालन या प्रबंध हेतु पदाधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षक / चिकित्सक, [illegible] कर्मी, आवश्यकतानुसार अन्य पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन, निलम्बन आदि करना।

9.340 न्यास के कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन, मानदेय, महंगाई भत्ता व अन्य लाभ निर्धारित करना व उसका भुगतान सुनिश्चित करना।

9.350 छात्रों व प्रशिक्षुओं की शिक्षा/प्रशिक्षण शुल्क तय करना।

9.360 गरीबी रेखा से नीचे या गरीब परिवार या आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अनाथ बच्चों व मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर उनको भुगतान करना।

9.370 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में होने वाले सभी प्रकार के व्यय का भुगतान करना।

9.380 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत वर्ष या भारत वर्ष के बाहर किसी भी देश में आयोजित सम्मेलनों में आने व जाने का अधिकार।

9.390 न्यास के समस्त आय व्यय का वार्षिक लेखा- जोखा व चिट्ठा बनवाना व [illegible] प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 TEN RUPEES Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

परिसम्पत्ति अथवा किसी सरकारी विभाग व न्यास के अन्तर्गत भारत में न्यास के प्रतिवेदन के समक्ष प्रस्तुत करना।

9.400 न्यास की सम्पत्ति व न्यासी परिषद के 2/3 बहुमत से न्यास के किसी [illegible] को बदलने व निकालने व उसकी पुष्टि करने का अधिकार यदि न्यास के [illegible] के हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो करना।

9.410 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 (5) (4) के साथ पठित धारा 11 (5) को [illegible] के अधीन [illegible] निवेशित करना।

9.420 न्यास के किसी भी उपबन्ध को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15), 11, 12, 13 तथा 80 जी के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो उसको संशोधित किया नहीं जायेगा। यदि ऐसा करना न्यास व उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो तो ऐसी दशा में सम्बन्धित अधिकारी से नियमानुसार पूर्व अनुमति या पुष्टि प्राप्त करना होगा।

9.430 न्यासी परिषद के सदस्यों [illegible] या पदाधिकारी न्यासी अथवा न्यासी को [illegible] दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता [illegible] व चिकित्सा [illegible] न्यासी परिवार की [illegible] में या [illegible] न्यास की तरफ से किसी [illegible] के कार्यों के सम्पादन के लिए [illegible] भुगतान करने का अधिकार।

9.440 न्यास व उससे सम्बन्धित संस्थानों के प्रबन्धन व संचालन से सम्बन्धित व्यक्तियों, पदाधिकारियों के कर्तव्य व [illegible] निर्धारित करना तथा [illegible]।

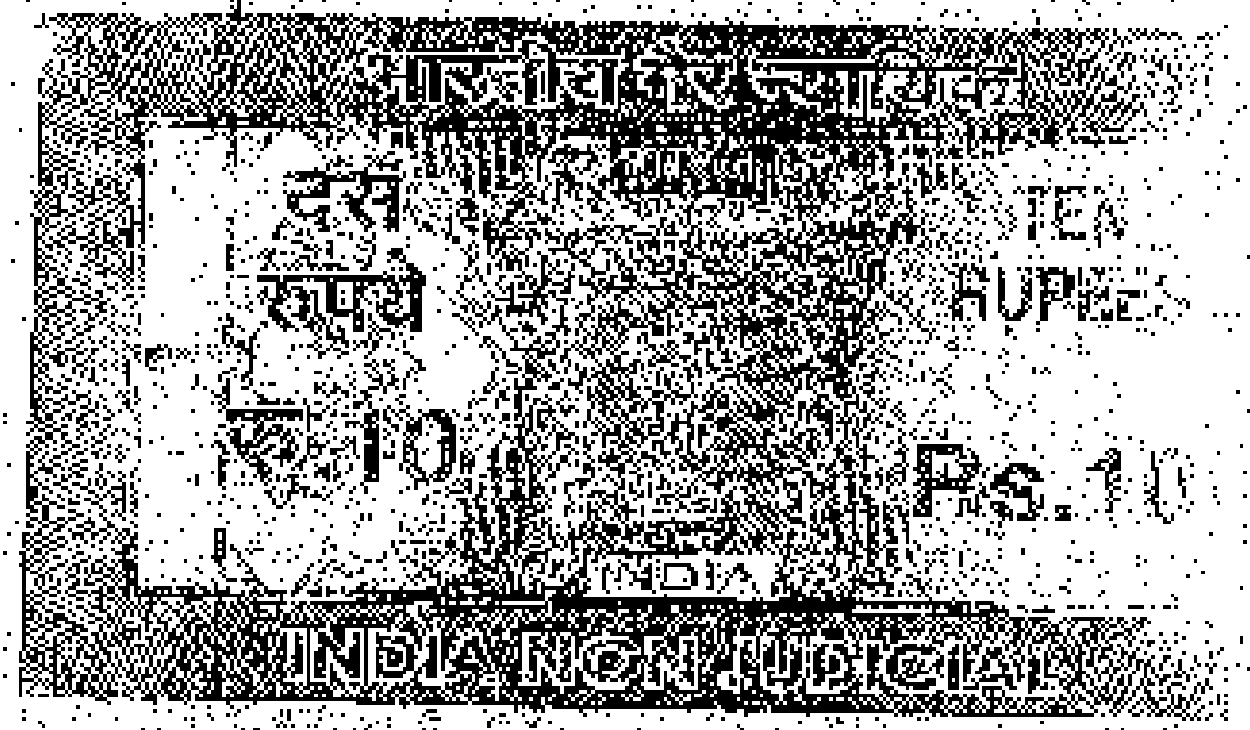

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

९.४५० न्यासी व उनके उत्तराधिकारी [illegible] के सभी अधिकार [illegible] न्यास के हित में हो।

अनुच्छेद- १०.००० निर्णायक मत

न्यासीगण के मध्य [illegible] विभाजन की स्थिति में [illegible] का निर्णय अंतिम होगा/किसी भी विषय में अध्यक्ष न्यासी का निर्णायक मत अंतिम होगा।

अनुच्छेद- ११.००० अभिलेखों की अभिरक्षा

न्यास के कार्यालयों में अभिलेख जैसे- विलेख, सभी निर्देश पत्र, आय-व्यय के लेखा पुस्तक, चल व अचल सम्पत्ति का विवरण पुस्तक, सदस्यों की सूची, बैठकों [illegible] कार्यवाही पुस्तिका, स्टाक पंजिका व अन्य आवश्यक अभिलेख [illegible] न्यासी की अभिरक्षा में रहेंगे।

अनुच्छेद- १२.००० अप्रतिसंहरणीय न्यास

१२.१०० एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि यह न्यास अप्रतिसंहरणीय न्यास है।

१२.११० न्यासीगणों द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में यदि यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि न्यास अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो गयी है तो न्यास की सभी चल व अचल सम्पत्ति व उत्तरदायित्वों को उस समय के समरूप उद्देश्य वाली किसी न्यास को अंतरित कर दी जायेगी।

अनुच्छेद- १३.००० सामान्य अनुबंध

१३.१०० न्यास के पक्षों या न्यास के विरुद्ध किसी प्रकार के विवाद का निपटारा पक्षकारों के बीच आपसी सहमति के द्वारा या पंच निर्णय के अनुसार किया जायेगा। सामान्यतः [illegible] क्षेत्राधिकार [illegible] के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

[illegible]

आज दिनांक 05/08/2017 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 30

पृष्ठ सं. 155 से 180 पर क्रमांक 84

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उपनिबंधक

बस्ती सदर

05.201[illegible]

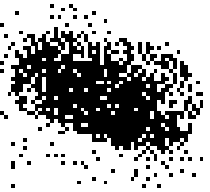

प्रबन्ध [illegible] समिति की बैठक की कार्यवाही

[illegible]

[illegible] ।

[illegible] उपस्थित

1. श्री [illegible]
2. श्री [illegible]
3. श्री [illegible]
4. श्री [illegible]
5. श्री [illegible]
6. श्री [illegible]

[illegible]

पिछली कार्यवाही पढ़ी गई पास किया।

बैठक की पिछली कार्यवाही [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की पुष्टि की।

प्रस्ताव नं० (2)

[illegible]

[illegible]

[illegible] समय में आर्य [illegible] स्वामी [illegible] श्री [illegible] को [illegible] श्री [illegible] है और [illegible] श्री [illegible] कि श्री [illegible] श्री राम [illegible]।

[illegible] के [illegible] से [illegible] किया [illegible] श्री [illegible] स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया। [illegible] कर दिया।

[illegible]

—श्रीमती [illegible] स्वामी जी [illegible] स्वामी [illegible] स्वामी [illegible] के [illegible]

[illegible] श्रीमती [illegible]
[illegible] श्री [illegible]
[illegible] श्री [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] किया
[illegible] श्री [illegible]
[illegible] के द्वारा श्री [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]